आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 107/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस. एम. लोढा कॉम्पलेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री रामप्रसाद साहू पुत्र श्री राम जस उर्फ रामराज साहू
   निवासी :– 03, श्रीराम कॉलोनी, रामपुरा रोड, गुलाब विहार, सांगानेर बाजार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
   एवं 25–ए, वार्ड संख्या 31, श्याम विहार–ए, रेल्वे स्टेशन के सामने, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
   एवं दुकान नम्बर 1, गेट नम्बर 2 के सामने, मुहाना मंडी, जिला जयपुर।
2. श्रीमती लक्ष्मी साहू पुत्र श्री रामप्रसाद साहू
   निवासी :– 03, श्रीराम कॉलोनी, रामपुरा रोड, गुलाब विहार, सांगानेर बाजार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
   एवं 383, वार्ड नम्बर 29, देवलिया हाउस, जी.पी.ओ. के पीछे, पुरानी मंडी, जिला अजमेर।
3. श्रीमती जितेन्द्र बंदोलिया पत्नी होतम सिंह
   निवासी 123/229, अग्रवाल फार्म, तहसील व जिला जयपुर।
4. श्री बुद्दी प्रकाश खिंची पुत्र श्री रामकरण खिंची
   निवासी 261, खटीकों का मोहल्ला, चांदमा कलां, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002

उपस्थितः–श्री नरेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 14.07.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.06.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री रामप्रसाद साहू पुत्र श्री रामजस साहू के स्वामित्व की सम्पति 25–ए, श्याम विहार–ए, रेल्वे स्टेशन के पास, सांगानेर, जिला जयपुर क्षैत्रफल 100 वर्गगज को बन्धक रख कर 15,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.07.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से क्रम संख्या 34 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 15,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 16,98,100/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 27.07.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी अप्रार्थी श्री रामप्रसाद साहू पुत्र श्री रामजस साहू के स्वामित्व की सम्पति 25–ए, श्याम विहार–ए, रेल्वे स्टेशन के पास, सांगानेर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 100 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

8. आदेश आज दिनांक **14.07.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर